संख्या :568 /VIII/510–प्रशि0टीसी/02

प्रेषक,

श्री नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण विज्ञान एवं प्रौधोगिकी अनुभाग दिनांक: 29 मार्च–2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु आयोजनागत पक्ष में मानक मद संख्याः 24 बृहत्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर रोड़ जनपद देहरादून के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 363/कैम्प/600/राज0रोड़/भवन दिनांक 08.फरवरी–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर रोड जनपद देहरादून के भवन निर्माण हेतु उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून द्वारा प्रस्तुत रूपये 198.70 लाख आंगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रूपये 177.74 लाख की लागत के आंगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष रूपये 50,00,000/–(रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2004–05 में करने का कष्ट करें, यदि तिथि के उपरान्त कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसका नियमानुसार शासन को दिनांक 31–3–05 तक समर्पण कर दिया जायेगा। उक्त धनराशि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की भौतिक प्रगति सहित शासन को उपलब्ध करायी जाये । उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद ही आगामी किश्त उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद दी जायेगी ।

3– स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उसी मदों /प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

4– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

5– कार्य करते समय टैण्डर आदि विषयक विषयों का भी अनुपालन किया जायेगा।

6– कार्य करने के पूर्व यदि किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो वो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7– कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

8– टी0ए0सी0 के निम्न बिन्दु (1) से (8) तक में दर्शायी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से अनुपालन कराया जाय।

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य का उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांती निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

(7)–ए– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(8) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।

9– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

10– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्यतता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

11– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्यलेखाशीर्षक –2230,श्रम तथा रोजगार 03–प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुद्वढ़ीकरण–00– 24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू0ओ0: 1171/वि0अनु0–3/2005,दिनांक 29, मार्च–2005 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 568/VIII/ 510–प्रशि0/ 2004, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री।
4– प्रधानाचार्य, राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड़ जनपद देहरादून।
5– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट।
6– महाप्रबन्धक, कन्स्ट्रक्शन विंग, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11–मोहनी रोड़ देहरादून को टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त संशोधित की गयी प्रति सहित ।
7– परियोजना प्रबन्धक, यूनिट सं0–1, कन्स्ट्रक्शन विंग, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून ।
8– वित्त अनुभाग–3
9. नियोजन–विभाग उत्तरांचल शासन ।
10. एन0आई0सी0 ।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव